न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
अपील संख्या – 05/2019
दायर दिनांक – 07.06.2019
निर्णय दिनांक – 27-1-21

उनवान

1. रामू सिंह पुत्र जक्खन सिंह जाति राजपूत निवासी महनपुर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

-- अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत महनपुर पंचायत समिति बानसूर तहसील बानूसर जिला अलवर राज0
2. तहसीलदार,बानसूर तह0बानसूर जिला अलवर राज0

-- रेस्पोडेण्ट्स

3. राजपाल सिंह पुत्र जक्खन सिंह जाति राजपूत निवासी महनपुर तह0बानसूर जिला अलवर राज0

-- तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 967 ग्राम पंचायत महनपुर निर्णय दिनांक 24.09.2001 वाकै मौका महनपुर

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. अपीलान्ट – श्री गजानंद सैनी एड0

–:निर्णय:–

आज यह अपील हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। अपील के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि उसकी बुजुर्गानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:15:00 IST
Reason: SelfAttested

rajesh/court decision/2020/अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 967 / रामू सिंह बनाम ग्राम पंचायत महनपुर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

आराजी का विरासत नामान्तकरण मेरे पिता जक्खन सिंह पुत्र बृजपालसिंह राजपूत की मृत्यू हो जाने के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 967 वाकै मौजा महनपुर ग्राम पंचायत महनपुर द्वारा दिनांक 24.09.2001 को मिन अपीलाण्ट के पीठ पीछे से कर दिया गया। जिसमें अपीलाण्ट का नाम रामू सिंह की बजाय बोलता नाम रामपालसिंह दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को केडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 25.04.2019 को मिलने पर प्राप्त हुई। जिस पर अपीलाण्ट द्वार सरपंच व तहसीलदार बानसूर से इसे दुरुस्त करने हेतु निवेदन किया तो दिनांक 15.05.2019 को इंकार कर दिया गया। जबकि अपीलाण्ट के अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में रामूसिंह ही दर्ज है । अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट की बुजुर्गानी आराजी मौका महनपुर के विरासत नामान्तकरण सं0 967 दिनांक 24.09.2001 मातहत आदालत ग्राम पंचायत महनपुर को खारीज फरमाया जाकर मिन अपीलाण्ट का नाम रामपाल सिंह पुत्र जक्खन सिंह के बजाय सही नाम रामू सिंह पुत्र जक्खन सिंह दर्ज किया जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज पंजिका की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 नं0 01 व 03 बावजूद सूचना/तामील के अनु0 रहने पर इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। मूल नामान्तकरण तलब किया गया। अपील पर विद्वान अधिवक्ता/पैरो0 की बहस सूनी गयी। अपील पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। हाल आ0ख0नं0 1694 रकबा 0.01 है0 , 1695 रकबा 0.01 है0 , 1696 रकबा 2.39 है0 , 1697 रकबा 0.04 है0 , 1700 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.01 है0 , 1705 रकबा 3.95 है0 , 1702 रकबा 1.95 है0, 1701 रकबा 4.33 है0 , 1698 रकबा 0.01 है0 , 1699 रकबा 3.17 है0 , 1143 रकबा 0.62 है0 , 1213 रकबा 0.14 है0, 1230 रकबा 0.01 है0 , 1231 रकबा 0.29 है0 , 2050/1208 रकबा 0.18 है0, 2053/1234 रकबा 0.31 है0 , 1229 रकबा 0.10 है0, 1255/1182 रकबा 0.27 है0 , 2059/1197 रकबा 0.18 है0, 2062/1209 रकबा 0.17 है0 वाकै मौजा महनपुर का विरासत नामान्तकरण सं0 967 दिनांक 24.09.2001 ग्राम पंचायत महनपुर द्वारा स्वीकार किया गया । जिसमें अपीलाण्ट का नाम रामपाल सिंह दर्ज किया गया है जबकि अपीलाण्ट के अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,राशन कार्ड,भामाशाह कार्ड इत्यादि में रामू सिंह पुत्र जक्खन सिंह नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट के स[illegible] की जाँच न कर केवल बोलते नाम से ही नामान्तकरण स्वीकार किया है [illegible] विधि विरुद्ध है। नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व ग्राम पंचायत को नियमानुसार अपीलाण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:15:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

के सही नाम की जाँच करनी चाहीये थी। उक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट अपील स्वीकार किय जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि जाकर विरासत नामान्तकरण सं0 967 वाकै मौजा महनपुर ग्रा0पं0 महनपुर के निर्णय दिनांक 24.09.2001 अपीलाण्ट की हद तक खारीज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बानसूर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वे उक्त नामान्तकरण का विधि सम्मत निर्णय पारित कर नामान्तकरण का पुनः निस्तारण करें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 21-1-21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:15:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner